न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 29/2024

फताराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी ततारसर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. प्रार्थी फताराम – – प्रार्थी स्वयं
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–04.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का निवासी है। प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 32 जी०जी०, पटवार हल्का ततारसर, खाता संख्या 15 (नया), खाता संख्या 13 (पुराना), के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 11, 12, 13/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 व 25 कुल 3.1620 हैक्टेयर नहरी एवं मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 1 ता 4 की कुल 1.0120 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार से उक्त दोनों मुरब्बाजात में कुल 4.1740 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 है, जिसमें से प्रार्थी के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज है, जिसकी कि प्रार्थी मालिक काबिज है, जिसका इंतकाल नम्बर 167 दिनांक 06–01–2007 को दर्ज हो चुका है।नकल जमाबंदी एवं नामांतरण संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी का वास्तविक नाम फताराम पुत्र लाधु राम है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पहचान पत्र जारी है जिसमें भी प्रार्थी का नाम फताराम ही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में लिपकीय भूलवश प्रार्थी का नाम रामप्रताप दर्ज हो गया है, जो कि गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में उसका नाम फताराम दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्त[illegible] होने के कारण प्रार्थी को क्षति कारित हो रही है। उक्त दोनों नाम रामप्र[illegible] व फ[illegible]म एक ही व्यक्ति के है, अलग–अलग व्यक्ति के नहीं है। इस [illegible] ततारसर के द्वारा भी अपना प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, जो कि संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित चक 32 जी०जी० के खाता संख्या 15 (नया), खाता संख्या 13 (पुराना), में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र लाधु राम को दुरूस्त कर फताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2025.02.25 13:32:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पुत्र लाधु राम दर्ज किया जाकर इसी नाम से खातेदारी घोषित की जाने के ओदश फरमाये जावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 5460 दिनांक 24.09.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई । मुताविक जांच रिपोर्ट हलका पटवारी आराजी चक 32 जीजी के खाता संख्या 15 के मु0नं0 11, 17 के कुल 4.174 हैक नहरी रकबा में से संयुक्त खाता में 0.52175 है. रकवा रामप्रताप पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल सा. ततारसर के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र लाधूराम था। पटवारी हलका रिकार्ड में सहवन से रामप्रताप के नाम में कोई त्रुटि नहीं हुई है । पटवारी हलका द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि रामप्रताप व फताराम एक ही व्यक्ति के नाम है। रामप्रताप व फतासंग अलग–अलग व्यक्ति नहीं है । प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में फताराम पुत्र लाधूराम ही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड, राशन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत ततारसर द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र, मतदाता पहचायन पत्र, तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के चक 32 जी०जी०, पटवार हल्का ततारसर, भू.अ.नि. चूनावढ़ तहसीलव जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/13 में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र लाधु राम को दुरूस्त कर फताराम पुत्र लाधु राम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को मेरे [illegible]या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2025.02.25 13:32:00 IST
Reason: SelfAttested

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner